न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–13/2025

1. मोहित कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम जाति चाचाण (अग्रवाल) निवासी वार्ड नम्बर 5, फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–आवेदक/प्रार्थी

1. पितरसेन पुत्र श्री भजनलाल जाति (अग्रवाल) निवासी वार्ड नम्बर 4, फेफाना हाल निवासी वी 1106 रघुवीर सिंह सिफोनी अलथान कैनाल रोड़ अलथान सुरत (गुजरात)।
2. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर जरिये विकाश अधिकारी पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहर जरिये संरपंच ग्राम पंचायत फेफाना पंचायत समिति नोहर।
4. विनोद पुत्र दौलतराम जाति चाचाण निवासी वार्ड नम्बर 5, फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. जयप्रकाश पुत्र दौलतराम जाति चाचाण (अग्रवाल) निवासी वार्ड नम्बर –5, फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. बसन्त कुमार पुत्र श्री बालमुकन्द जाति चाचाण (अग्रवाल) निवासी वार्ड नम्बर–5, फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. बालमुकन्द पुत्र श्री दौलतराम जाति चाचाण (अग्रवाल) निवासी वार्ड नम्बर–5, फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. अंकित चाचाण पुत्र श्री प्रदीप चाचाण जाति चाचाण (अग्रवाल) निवासी वार्ड नम्बर–5, फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अनावेदकगण/अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01

श्री रोहिताश सिहाग अ[illegible]प्रार्थी संख्या–02

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः– 22/4/[illegible]

प्रार्थी मोहित कुमार पुत्र गोविन्द राम जाति चा[illegible] निवासी फेफाना तहसील नोहर द्वारा निर्णय दिनांक 04.09.2025 अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा अपील संख्या 49/2025 बअनवानी पितरसेन बनाम ग्राम पंचायत फेफाना आदि

अतिरिक्त जिला कलक्टर

स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 05.11.2024 को खारिज किया गया है, के विरूद्ध निगरानी पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अनावेदक नम्बर 1 अपीलान्ट की तरफ से मातहत अदालत में अपील संख्या 49/2025 बअनवानी पितरसेन बनाम सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना आदि इस कथन के साथ अपीलान्ट ने पेश किया की अपीलान्ट खुद का पारिवारिक समझौता सम्पति के तहत भूखण्ड पुराना कब्जा शुदा व खरीद शुदा कब्जा उपयोग का तादादी 8223.25 वर्गफुट का है। जिसका अपीलान्ट के द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड के चार दिवार निर्माण करने के साथ पुराना परिवारिक सम्पति भाई परिवार बटंवारा में आया हुआ पुराना कब्जा उपयोग उपभोग स्वामित्व का है जो पूर्व में मेरे भाई का खरीदशुदा था जिसके उत्तर में सार्वजनिक गली आम, दक्षिण में रामजीलाल, पूर्व में अंकित, बालमुकन्द, बंसन्त कुमार, जयप्रकाश, विनोद कुमार व पश्चिम में बलवीर, बंशीधर है तथा उपरोक्त भूखण्ड का उपयोग पहले अपीलान्ट का पिता व भाई करता था उसके बाद बंटवारे में उपरोक्त भूखण्ड अपीलान्ट के पक्ष को देने के बाद उपयोग, उपभोग काम में ले रखा है अपीलान्ट के पट्टा शुदा प्लाट में लकड़िया, थेपड़ी, कुड़ा–कचरा के रूप में अपने उपयोग–उपभोग में ले रहा है व अपीलान्ट अब वर्तमान में भी व पूर्व में भी सदा से काबिज चला आ रहा है अपीलान्ट ने नियमानुसार ही तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना से पुराने घरो का विनियमितिकरण कर पट्टा धारा 157 पंचायतीराज अधिनियम जारी करवाया था जो विधि संवत था जिसमें सम्पूर्ण सरपंच कार्यकारिणी द्वारा व पंच, ग्राम सेवक द्वारा मौके पर सम्पूर्ण रूप से कब्जा सम्बन्धी मौका नक्शा देखकर विधिक रूप से दिनांक 05.11.2024 को अपीलान्ट के पक्ष में बनाया था जो कि सम्पूर्ण तथ्यों को देखते हुए व कब्जे को देखते हुए ग्राम पंचायत ने जारी किया था जो विधि संवत था। उसके बाद में अनावेदक पितरसेन ने जो ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पट्टा दिनांक 05.11.2024 के विरूद्ध एवं कानून के विपरीत को अपास्त करने योग्य कि अपील श्रीमान अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापन स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर के समक्ष कानून के विपरीत जो अपास्त करने योग्य थी उसको बिना मौके देखे बिना व न ही किसी कब्जे सम्बन्धी जांच पड़ताल करके [illegible] पंचायत समिति नोहर द्वारा बनाकर व अपील में मौका रिपोर्ट में एक नोट अंकित करते हुए [illegible] ने अपने भाई के हक को छोड़ते हुए अकेले पट्टे जारी [illegible] नोट कथन से पट्टे को अनावेदक संख्या 2 ने अनावेदक संख्या 1 के [illegible] राजनैतिक द्वेषता व मानसिक परेशान करने के उदेश्य से अपीलान्ट को नुकसान [illegible] दुष्ट आचरण से पट्टा खारिज किया है अप्रार्थी संख्या 1 ने पंचायत समिति/अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति ने पंचायतीराज अधिनियम सन 1994 की धारा 61 (1) के अन्तर्गत अपील पेश कर दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेसपोडेन्ड अपीलार्थी को जरिये नोटिस जो नियमानुसार है उसको

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जारी करना था, उसे सुनवाई का अवसर देना था, जो नही दिया गया व निगरानी के आवेदक मोहित को नियमानुसार कोई नोटिस तामिल नही करवाया गया केवल एकपक्षीय निर्णय अप्रार्थी संख्या 2 ने जारी करके विधिक भूल की है, जो विधि सम्मत नही है। मगर मातहत अदालत ने बिना किसी सही विश्लेषण कर आवेदक रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जारी पट्टे को आपने निर्णय दिनांक 04.09.2025 को आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 05.11.2024 को खारिज कर दिया जिससे अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होती है, जिसमें आवेदक निर्णय दिनांक 04.09.2025 बअदालत मातहत को निरस्त करने हेतु तथा आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 05.11.2024 को बहाल करने के लिए यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है, जो नियमानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

2. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 04.09.2025 को पारित करते समय गहन अवलोकन नहीं किया है निर्णय विधि सम्मत नहीं होने के कारण काबील खारीज योग्य है।

3. मातहत अदालत ने मौका रिपोर्ट विवादित स्थल को प्राप्त करते समय आवेदक को कोई सुनवाई व सबुत का अवसर नहीं दिया है कतई एक तरफा मौके पर जाकर तैयार ना कर केवल राजनेतिक द्वेषता से वशीभूत होकर निर्णय दिनांक 04.09.2025 को पारित किया है कार्यालय पंचायत समिति के रेस्पोडेंन्ट कमेटी ने यह कहते हुए कि मोहित कुमार ने अपने भाई के हक को छोड़ते हुए अकेले पट्टा ग्राम पंचायत फेफाना से जारी करवा लिया है, जो कि खारिज योग्य है जब कि मोहित कुमार के समस्त पारिवारिक माता–पिता, भाई–बहिन सम्पूर्ण रूप से सहमत होते हुए बिना किसी विवाद के सहमति से घरेलू बंटवारे में मोहित का ही पट्टा शुदा प्लाट था केवल आवेदक को नुकसान कारित करने के उद्देश्य ने केवल मनगढ़त तथ्यों के साथ पंचायत समिति नोहर के द्वारा पट्टा खारिज किया है व निर्णय दिनाक 04.09.2025 जारी किया है, जो काबिल निरस्तनीय है।

4. मातहत अदालत ने अपना निर्णय बिना किसी सही विश्लेषण व अनुशिलन के कतई मनमानों एवं स्वेच्छाचारी नियम विरूद्ध है तथा अनावेदक अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद नहीं थी, जो नियमानुसार मियाद कर बिन्दू काबिल खारिज है फिर भी अपील स्वीकार कर आवेदक प्रार्थी का पट्टा खारिज कर कानूनी भूल कि है।

5. भूखण्ड आवेदक प्रार्थी अकेले [illegible] किसी को कोई हक व हिस्सा नहीं था फिर भी मातहत अदालत ने को[illegible] जांच [illegible]र आवेदक को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर ना देकर केवल [illegible] पारित किया है, जो निर्णय दिनांक 04.09.2025 काबिले निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

6. ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण जांच कर नियमानुसार पट्टा संख्या 06 दिनांक 05.11.2024 आवेदक/प्रार्थी के पक्ष में जारी किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

था, उसको खारीज कर मातहत अदालत ने कानून के मान्य प्रावधान की अनदेखी की है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिले मन्सुखी/खारिज योग्य है।

अतः निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 04.09.2025 बअदालत मातहत निरस्त फरमाया जावे तथा पट्टा संख्या 06 दिनांक 05.11.2024 बहक आवेदक/प्रार्थी बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या –01 की ओर से श्री मांगेराम गोदारा उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–03 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 4 ता 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा पंचायत समिति नोहर में 06 पट्टो को खारिज करवाने बाबत अपील पेश की गई। अपील में निवदेन किया गया कि पट्टो की अपील खारिज कर दी जावे एंव 01 पट्टे की अपील का निर्णय कर खारिज किया जावे। इस भूखण्ड के आधे हिस्से में 5 प्लॉट है। यह प्लॉट जरिये इकरारनामा खरीदशुदा है एंव इकरारनामा के आधार पर ही पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी ग्राम फेफाना में नहीं रहता है। वर्तमान में सूरत(गुजरात) रहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया। उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा कीमतन जारी किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर को पट्टा खारिज करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 6 बहाल किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत फेफाना में 120 X 127 फुट का भूखण्ड है। जिसको भजनलाल एंव दौलतराम द्वारा जरिये इकरारनामा खरीद किया गया। दौलतराम द्वारा अपने प्लॉट में 5 प्लॉट काट कर पट्टे जारी करवाये गये। भजनलाल द्वारा खरीदशुदा प्लॉट आधा हिस्सा प्रार्थी के पिता गोविन्द राम एंव आधा हिस्सा पितरसैन पुत्र भजनलाल है। मोहित पुत्र गोविन्द राम द्वारा भजनलाल द्वारा इकरारनामा के आधार पर खरीदशुदा प्लॉट का पट्टा अकेले अपने [illegible] से [illegible] करवा लिया, जो कानून सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाकर [illegible] का निर्णय बहाल रखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावाली का अध्ययन किया गया। विवादित भूखण्ड अप्रार्थी पितरसैन पुत्र श्री भजनलाल जाति अग्रवाल निवासी फेफाना द्वारा जरिये इकरारनामा भजनलाल पुत्र श्री लिच्छीरीराम जाति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 13/2025 अनवान मोहित कुमार बनाम पितरसेन आदि

अग्रवाल निवासी फेफाना से खरीदशुदा है। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 04.09.2025 को पारित निर्णय में अंकित किया है कि *"पट्टा संख्या–06 दिनांक 05.11.2024 मोहितकुमार पुत्र श्री गोविन्दराम निवासी फेफाना के नाम से जारी है। उक्त पट्टा की भूमि में आधा हिस्सा अपीलार्थी को होनें से पट्टा गलत जारी होना प्रमाणित है"*। न्यायालय के मत अधीनस्थ न्यायायल अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 05.11.2024 को पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 22/4/26 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested